



2026:AHC-LKO:20050

इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ

अनुच्छेद 227 के अंतर्गत वाद संख्या: 952/2026

फैजाबाद दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड,

द्वारा मुख्य प्रबंधक आशीष कुमार श्रीवास्तव

...याचिकाकर्ता

बनाम

स्थायी लोक अदालत बाराबंकी,

द्वारा अध्यक्ष एवं 9 अन्य

.....प्रत्यर्थी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: पंकज पटेल

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता: मनीष जौहरी

न्यायालय सं0 17

माननीय न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री पंकज पटेल द्वारा सहायता प्राप्त वरिष्ठ अधिवक्ता श्री संजय भसीन, तथा विपक्षी संख्या 8 और 9 के विद्वान अधिवक्ता श्री मनीष जौहरी को सुना गया और अभिलेखों का परिशीलन किया गया।
2. भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत दायर इस याचिका के माध्यम से, याची ने स्थायी लोक अदालत, बाराबंकी द्वारा 'पी0एल0ए0 केस संख्या 39/2020' में पारित दिनांक 24.07.2025 अधिनिर्णय की वैधता को चुनौती दी है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

3. प्रारंभ में, याची के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि उन्होंने त्रुटिवश स्थायी लोक अदालत को विपक्षी संख्या 1 के रूप में पक्षकार बना लिया है। वह विपक्षी संख्या 1 के विरुद्ध याचिका पर बल नहीं दे रहे हैं और इसे पक्षकारों की सूची से हटाया हुआ माना जाए।
4. मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि विपक्षी संख्या 2 से 7 ने स्थायी लोक अदालत के समक्ष एक दावा दायर किया था, जिसमें कहा गया था कि विपक्षी संख्या 1 का पति याची के कूलिंग प्लांट में एक अस्थायी गार्ड के रूप में कार्य करता था और वह प्लांट के परिसर में ही रहता था। दिनांक 12.12.2017 को सुबह लगभग 9.00 बजे जब वह ट्यूबवेल पर स्नान करने गया था, तब बिजली विभाग की लापरवाही के कारण करंट लगने (इलेक्ट्रोक्वशन) से उसकी मृत्यु हो गई। क्लेम याचिका में कहा गया था कि मुआवजे के भुगतान के लिए उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अधिकारियों को एक प्रत्यावेदन दिया गया था, लेकिन जब कॉर्पोरेशन द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया, तो स्थायी लोक अदालत के समक्ष दावा दायर किया गया। इस दावे को दिनांक 24.07.2025 के विवादित अधिनिर्णय के माध्यम से स्वीकार कर लिया गया, जिसमें उल्लेख किया गया है कि याची ने कोई आपत्ति/लिखित कथन दाखिल नहीं किया था।
5. स्थायी लोक अदालत ने याचिकाकर्ता को बिजली से हुई मृत्यु के लिए ₹7,45,000/- के मुआवजे के भुगतान हेतु उत्तरदायी ठहराया है, और यह माना है कि उसकी मृत्यु याचिकाकर्ता की लापरवाही के कारण हुई थी।
6. उक्त अधिनिर्णय की वैधता को चुनौती देते हुए, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि क्लेम याचिका में किए गए कथनों से यह स्पष्ट है कि दावेदारों ने उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड को मांग नोटिस जारी किया था और याचिकाकर्ता से कोई मांग नहीं की गई थी। यहाँ तक कि क्लेम याचिका में भी यह आरोप था कि मृतक की मृत्यु उत्तर प्रदेश

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की लापरवाही के कारण हुई थी और याचिकाकर्ता के विरुद्ध कोई आरोप नहीं लगाया गया था। इसी कारण याचिकाकर्ता ने कोई लिखित कथन दाखिल नहीं किया था। यद्यपि याचिकाकर्ता को कोई मांग नोटिस नहीं भेजा गया था और स्थायी लोक अदालत में दायर वाद में याचिकाकर्ता की लापरवाही का कोई आरोप नहीं था, फिर भी याचिकाकर्ता के विरुद्ध अधिनिर्णय पारित कर दिया गया है।

7. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने सूचित किया कि याचिकाकर्ता ने स्थायी लोक अदालत के समक्ष दिनांक 24.07.2025 के अधिनिर्णय रीकाल हेतु एक आवेदन दायर किया है, जिसकी प्रति याचिका के अनुलग्नक संख्या 6 के रूप में संलग्न है। वहीं दावेदारों ने अधिनिर्णय के निष्पादन के लिए आवेदन किया है।
8. इन परिस्थितियों में, यह उचित होगा कि स्थायी लोक अदालत, अधिनिर्णय के निष्पादन की कार्यवाही में आगे बढ़ने से पहले याचिकाकर्ता द्वारा दायर एकपक्षीय अधिनिर्णय को वापस लेने (Recall) के आवेदन पर निर्णय ले।
9. चूंकि निजी विपक्षीगण उपस्थित नहीं हैं, इसलिए उन्हें नोटिस भेजा जाना आवश्यक है।
10. तदनुसार, विपक्षी संख्या 2 से 7 और 10 को नोटिस जारी करें, जो शीघ्र तिथि पर वापसी योग्य हो।
11. याची के विद्वान अधिवक्ता इस संबंध में आज से एक सप्ताह के भीतर आवश्यक कदम उठाएंगे।
12. इस मामले को तामील रिपोर्ट के साथ 'फ्रेश की तरह' मामलों की सूची में सूचीबद्ध करें।
13. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस याचिका के लंबित रहने को 'रीकाल आवेदन' या 'इजरा कार्यवाही' की सुनवाई पर रोक के रूप में नहीं माना जाना चाहिए।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



19 मार्च, 2026

(न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी)

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।